कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मुरादाबाद।

प्रेस–विज्ञप्ति

उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के पत्र संख्या 2389/एसएलएसए–83/2025 (संदीप/ऋ) दिनांकित 30, जुलाई 2025 के द्वारा मध्यस्थता की व्यवस्था सुदृढ़ बनाये जाने व न्यायालयों में लम्बित विभिन्न प्रकार के वादों के शीघ्र निस्तारण के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ए0डी0आर0 भवन दीवानी न्यायालय परिसर में संचालित मध्यस्थता केन्द्र में मध्यस्थों का एक पैनल तैयार/चयन करना है, जिसके लिये निम्न अर्हता रखने वाले इच्छुक व्यक्ति/अधिवक्ता/सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आवेदन कर सकते है। जिसकी अन्तिम तिथि 19–08–2025 नियत है।

1. ऐसे अधिवक्ता, जिनके पास न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो।
2. सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश।
3. ऐसे वृत्तिक/विशेषज्ञ जिनके पास अपने–अपने क्षेत्रों में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव हो और जो विधि के क्षेत्र से सुपरिचित हों।

आवश्यक निर्देशः–

1. चयनित आवेदक की नियुक्ति मध्यस्थ पैनल बनाये जाने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी।
2. आवेदक को न्यायालय द्वारा किसी आपराधिक मामले में दण्डित न किया गया हो।
3. आवेदक आवेदन पत्र के साथ एक स्वपतायुक्त लिफाफा पंजीकृत डाक हेतु निर्धारित टिकट लगा कर प्रस्तुत करें।
4. आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षिक अभिलेखों व प्रमाण–पत्र तथा अन्य आवश्यक अभिलेखों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ एवं पासपोर्ट साइज की एक फोटो, आधार कार्ड की छायाप्रति, स्थायी निवास प्रमाणपत्र की सत्यप्रतिलिपि अनिवार्य रूप से संलग्न करे।

उक्त अर्हता रखने वाले इच्छुक अभ्यर्थी मध्यस्थता पैनल में सम्मिलित होने हेतु संलग्न निर्धारित प्रारूप पर आवेदन–पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मुरादाबाद के कार्यालय में दिनांक 19–08–2025 की सांय 5–00 बजे तक कार्यालय में उपस्थित होकर/पंजीकृत डाक द्वारा प्राप्त करा सकते हैं। उक्त आवेदन पत्र का प्रारूप जनपद न्यायालय, मुरादाबाद की वेबसाइट https://districts.ecourts.gov.in/moradabad पर Recruitment ऑप्शन पर क्लिक करके डाउनलोड किया जा सकता है।

(मौ० फिरोज)
अपर जिला जज/सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
मुरादाबाद।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु प्रेषित–

1– ओ0एस0डी0 कम्प्यूटर, रजिस्ट्रार (जे) माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करें।

2– उपनिदेशक सूचना, सूचना विभाग, मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ कि इसका प्रकाशन मुरादाबाद जनपद के समस्त समाचार पत्रों में जनहित में निःशुल्क कराना सुनिश्चित करें।

3– केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय, मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ कि उक्त सूचना को जनपद न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावे।

4– सिस्टम ऑफिसर, कम्प्यूटर अनुभाग जनपद न्यायालय मुरादाबाद को इस आशय से कि वह जनपद न्यायालय मुरादाबाद की वेबसाइट पर अपलोड करें।

अपर जिला जज/सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
मुरादाबाद।